



राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 2433

Date: 09-09-2022

समस्त राजकीय एवं
आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालय।

विषय :- आरजीएचएस के अन्तर्गत लाभार्थी को आउटडोर परामर्श प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को परामर्श प्रदान किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत किये जा रहे आउटडोर चिकित्सा दावों (Hospital OPD Claims) के विश्लेषण उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश चिकित्सकों द्वारा अपने संबंधित विभाग (Speciality/Department) के स्थान पर अन्य विभागों (Specialities/Departments) में भी दवाईयां एवं जांचें परामर्श की जा रही है, जोकि नियम विरुद्ध है। समस्त चिकित्सालयों को स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन चिकित्सकों को पाबंद करावें कि वे योजना में इस प्रकार से कार्य सम्पादित नहीं करें। इसके उपरान्त भी यदि कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 2434-2438

Date: 09-09-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त परियोजना निदेशक (सतर्कता/दावा इकाई), राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
3. लेखा शाखा/भुगतान शाखा, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
4. प्रबंधक, एमडी इण्डिया हेल्थ टीपीए, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सालयों के आउटडोर चिकित्सा दावों की जांच के दौरान यह सुनिश्चित करे कि चिकित्सक द्वारा उनकी संबंधित विभाग (Speciality) की दवाईयां एवं जांचें ही परामर्श की गयी हो। यदि अन्य विभाग से संबंधित परामर्श पर्ची लिखी गयी हो तो संबंधित चिकित्सालय के आउटडोर चिकित्सा दावों को निरस्त कर दिया जावे।
5. समस्त सहकारी दवा भण्डार एवं निजी अनुमोदित फॉर्मा स्टोर्स (समस्त) के फॉर्मासिस्ट को भेजकर लेख है कि ऐसे परामर्श पर्चों की पहचान कर कार्यालय को सूचित करे, अन्यथा दवा बिल निरस्त कर दिये जावेंगे।

परियोजना निदेशक, आरजीएचएस